मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-19.06.2017 को अपराह्न 4.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा गत माह राज्य सरकार के विरुद्ध दायर CWJC/MJC/ LPA/SLP मामलों में संबंधित विभागों द्वारा प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने के कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया। गत माह राज्य सरकार के विरुद्ध CWJC के 758 मामलें दायर हुए जबकि 899 मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। इसी प्रकार MJC के 99 दायर मामलों में 98 मामलों में कारणपृच्छा दायर किया गया एवं LPA के 45 दायर मामलों में 50 में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा इस बिन्दु पर संतोष व्यक्त करते हुए इस क्रम को निरंतर बनाये रखने का निर्देश सभी विभागों को दिया गया।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में **मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग** एवं **समाज कल्याण विभाग** के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया गया। समीक्षा के क्रम में MJC के लंबित मामलों में कारणपृच्छा दायर करने में **समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWJC/MJC मामलों में प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर किए जाने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की गयी।

2. CWJC एवं MJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों के संबंध में बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चर्चा किया गया जो निम्न है:-

CWJC			
विभाग का नाम	प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित मामले	प्रतिशपथ-पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या	वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या
ग्रामीण विकास विभाग	172	0	166
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	690	8	682
सहकारिता विभाग	145	3	142
पंचायती राज विभाग	370	12	358
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	95	4	91

(231)

MJC (अवमाननावाद)			
विभाग का नाम	कारणपृच्छा दायर करने हेतु लंबित मामले	कारणपृच्छा दायर किए गए मामलों की संख्या	वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	43	0	43
पंचायती राज विभाग	19	0	19
कृषि विभाग	16	0	16
ग्रामीण विकास विभाग	12	2	10
ग्रामीण कार्य विभाग	12	2	10

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा खेद व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में अविलम्ब प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को निर्देश दिया गया।

3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गत माह के प्रदर्शन पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा CWJC के लंबित 690 मामलों में से मात्र 8 मामलों में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। MJC के लंबित 43 मामलों में से एक भी मामलें में कारणपृच्छा संबंधित विभाग द्वारा दायर नहीं किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रदर्शन विगत दो वर्षों से निरंतर असंतोषजनक पाया जाता रहा है। संबंधित विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया गया कि वे लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए समुचित व्यवस्था करें ताकि लंबित मामलों की संख्या में शीघ्रताशीघ्र कमी लायी जा सके।

4. समीक्षा के क्रम में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग (1217 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (682 मामले), स्वास्थ्य विभाग (614 मामले), पंचायती राज विभाग (358 मामले) एवं समाज कल्याण विभाग (332 मामले)** के पाये गये। इसी प्रकार MJC के मामले में कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग (94 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (43 मामले), स्वास्थ्य विभाग (22 मामले), पंचायती राज विभाग (19 मामले) एवं कृषि विभाग (16 मामले)** के पाये गये। लम्बित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया, ताकि लंबित मामलों की संख्या में कमी लाया जा सके।

6. सचिव, विधि विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त समीक्षात्मक बैठक हेतु **सूचना एवं जनसंपर्क विभाग** द्वारा विलंब से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया तथा **पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग** द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को बैठक हेतु ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

7. बैठक में सचिव, विधि विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर **अवमाननावाद (MJC) सं0-1618/2014** मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **दिनांक-23.05.2017** को पारित आदेश पर चर्चा किया गया। उक्त आदेश के अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय, पटना में लंबित 8600 अवमाननावाद के मामले में **90%** मामले राज्य सरकार के विरुद्ध लंबित है। जबकि मई माह

हेतु उक्त बैठक के संदर्भ में सभी विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार राज्य सरकार के विरुद्ध अवमाननावाद के मात्र 2532 मामले ही लंबित हैं।

इस संदर्भ में सचिव, विधि विभाग के द्वारा सभी विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभाग में लंबित अवमाननावाद के मामलों की सही प्रकार से समीक्षा करें कि वे मामलें वास्तव में लंबित है या निष्पादित हो चुके हैं। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा भी सभी विभागों को अवमाननावाद के लंबित मामलों की सही प्रकार से समीक्षा करते हुए बैठक हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/.....जे0 पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/3623जे0 पटना, दिनांक-3-7-17

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।